भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1414

दिनांक 31.07.2024 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी

†1414. श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री हरीभाई पटेल:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार खनिजों की खोज में आर्थिक निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो नीलाम किए जाने वाले खनिजों के ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए आवश्यक खनिजों को सुरक्षित रखने के लिए कोई कार्यनीति तैयार करने की योजना बना रही है;
(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) विगत दस वर्षों के दौरान यदि कोई नए खनिज भंडार पाए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार किस प्रकार से चुनौतियों पर काबू पा रही है और भारत में खनिज उत्खनन के अवसरों का लाभ उठा रही है?

<u>उत्तर</u>
<u>कोयला और खान मंत्री</u>
<u>(श्री जी. किशन रेड्डी)</u>

(क) और (ख): जी, हां। केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की अनुसूची-I के भाग घ में दिए गए 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। अब तक लिथियम, आरईई, ग्रेफाइट, वैनेडियम, निकल, क्रोमियम, ग्लौकोनाइट, प्लैटिनम तत्व समूह (पीजीई) और फॉस्फोराइट जैसे खनिजों वाले 14 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। ये ब्लॉक बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में हैं।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों से ग्रेफाइट, ग्लौकोनाइट, फॉस्फोराइट, निकल, पीजीई, आरईई, पोटाश, टंगस्टन, वैनेडियम, ग्लौकोनाइट, कोबाल्ट और क्रोमियम जैसी वस्तुओं के 21 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

(ग) से (च): जी, हां। भारत सरकार ने भारत के सामरिक हित के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही, उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित मुख्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई पहल की हैं।

उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) और अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (ओएएमडीआर अधिनियम) को 2023 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के गवेषण और खनन को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, गहराई में स्थित 29 खनिजों जिनमें महत्वपूर्ण खनिज भी शामिल हैं, के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति नामक एक नई खनिज रियायत शुरू की गई है। यह अनुज्ञप्तिधारक को इन खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण प्रचालन करने की अनुमति देगी।

इसके अतिरिक्त, गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने 22 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के वित्त पोषण के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं।

वर्ष 2023 में, खान मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायीकरण के बीच के अंतर को पाटने के लिए खनन और खनिज क्षेत्र में कार्यरत स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को वित्त पोषित करने के लिए एसएंडटी-प्रिज़्म (स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) शुरू करके एसएंडटी कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया है।

खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से समृद्ध तथा महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण तथा विकास में नवीनतम प्रौद्योगिकियों तक पहुंच वाले ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, मोजाम्बिक आदि जैसे संसाधन समृद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं।

मंत्रालय के अधीन संयुक्त उद्यम कंपनी-खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) ने लिथियम के गवेषण और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15700 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया है।

वर्ष 2015 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए प्रमुख खनिज राज्यों और खान मंत्रालय को महत्वपूर्ण खनिजों सहित विभिन्न खनिजों की 244 भूवैज्ञानिक रिपोर्टें और 324 भूवैज्ञानिक ज्ञापन सौंपे हैं।

उपर्युक्त पहल खनिज संसाधनों की उपलब्धता और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित कर भारत की आर्थिक विकास में योगदान देंगी।

*****